INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

सन्दर्भ सं-3/Power/01103 30.03.2020

आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा जी,
माननीय ऊर्जा मंत्री
उत्तेर प्रदेश सरकार

विषय : अप्रैल माह के विद्युत् बिलों को तीन माह के औसत उपयोग के आधार पर बनाये जाने के आदेश को रद्द करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
निदेशक वाणिज्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा अपने आदेश संख्या 36/पीएसडीसी/पालाकि/2020 दिनांक 28 मार्च 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया है कि लॉक डाउन के कारण अप्रैल माह में मीटर रीडिंग का कार्य स्थगित रहेगा और उपभोक्ताओं के सभी बिल तीन माह के औसत उपयोग के आधार पर बनाये जायेंगे। (आदेश की प्रतिलिपी संलग्न है) इस आदेश के सम्बन्ध में आपसे निम्नलिखित निवेदन है:-

1. लॉक डाउन के समय एवं उसके काफी पहले 15 मार्च से उत्तर प्रदेश में उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन बंद है। 15 मार्च से पूर्व भी होली के त्यौहार के कारण कर्मचारियों के अपने अपने घर छुटी पर जाने से उद्योगों में माह मार्च में केवल 3–4 दिन ही कार्य हो पाया था। ऐसे में माह मार्च में उद्योगों में बिजली की खपत लगभग न के बराबर रही है।
2. उत्पादन बंद होने से उद्योगों में आमदनी भी बंद हो गई है। फिर भी उन्हें कुछ फिक्स्ड खर्चे जैसे कर्मचारियों का वेतन, बैंकों की मासिक किस्तें और ब्याज इत्यादी अनिवार्य रूप से वहन करने पड़ रहे हैं।
3. हमें मालूम है कि प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की माली हालत भी कुछ अच्छी नहीं है और उन्हें भी खरीदी गई बिजली का भुगतान करना होता है। परन्तु उन्हें उतनी ही बिजली का भुगतान करना होता है जितनी वे खरीदते हैं। ऐसे में उद्योगों से तीन माह के औसत उपयोग के आधार पर बसूली करना उचित नहीं है क्योंकि लॉक डाउन के समय वे बिजली उपयोग ही नहीं कर रहे हैं।
4. यह भी उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को डायरेक्टिव दे दिए हैं कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान के लिए तीन महीने की छूट बिना किसी पेनलिटी के देने के आदेश जारी करे। इसी तर्ज पर विद्युत वितरण कंपनियों को भी उत्तर प्रदेश के उद्योगों को तीन माह का मोरिटोरियम देना उचित होगा।

अतः इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का आपसे विनम्र आग्रह है कि जिस प्रकार ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों को तीन महीने का मोरिटोरियम देने का निर्णय किया है उसी प्रकार विद्युत वितरण कम्पनियाँ भी प्रदेश में उद्योगों की माली हालत को देखते हुए तीन माह बाद बिना किसी पेनलिटी के एक्चुअल विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिजली बिलों की बसूली करे। इस आशय का निर्णय एवं आदेश आप द्वारा जारी करने से प्रदेश के उद्योगों को इस कठिन समय में कुछ रहत मिलेगी।

आशा करते हैं कि आप हमारे उपरोक्त निवेदन को प्रदेश एवं प्रदेश के उद्यमियों के हित में शीघ्रताशीघ्र स्वीकार कर कार्यवाही करेंगे।

धन्यवाद

पंकज कुमार
राष्ट्रिय अध्यक्ष